अधिनियम

देव संस्कृति विश्वविद्यालय विधेयक, २००२

(विधेयक संख्या 04 वर्ष २००२)

राज्य में श्री वेदमाता गायत्री ट्रस्ट, हरिद्वार, उत्तरांचल द्वारा प्रायोजित एक विश्वविद्यालय स्थापित करने और उसे निगमित करने एवम् उससे सम्बन्धित, या आनुषांगिक, विषयों की व्यवस्था करने हेतु यह

अधिनियम

भारत गणराज्य के तिरेपनवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

अध्याय - एक

प्रारम्भिक

लघु शीर्षक एवं प्रारंभ

१. (१) यह अधिनियम देव संस्कृति विश्वविद्यालय अधिनियम, २००२ कहा जायेगा।

(२) यह राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना जारी किये जाने वाली तिथि से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

परिभाषायें

२. (१) जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो, इस अधिनियम में-

(क) 'शैक्षिक परिषद' का तात्पर्य विश्वविद्यालय के शैक्षिक/विद्या परिषद् से है;

(ख) 'घटक महाविद्यालय' का तात्पर्य विश्वविद्यालय द्वारा अनुरक्षित किसी महाविद्यालय, या संस्था से है;

(ग) 'तकनीकी शिक्षा परिषद्' का तात्पर्य अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् अधिनियम, १९८७ की धारा ३ के अधीन स्थापित अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् से है;

(घ) 'दूरस्थ शिक्षा पद्धति' का तात्पर्य संचार के किसी माध्यम से यथा प्रसारण, दूर-दृश्य प्रसारण, पत्राचार पाठ्यक्रम, सेमिनार, सम्पर्क कार्यक्रम, या ऐसे किसी दो या अधिक साधनों के संयोजन द्वारा शिक्षा देने की पद्धति से है;

(च) 'कर्मचारी' का तात्पर्य विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त किसी कर्मचारी से है और इसके अन्तर्गत विश्वविद्यालय, या किसी घटक महाविद्यालय के अध्यापक और अन्य कर्मचारीवृन्द भी हैं;

(छ) 'संकाय' का तात्पर्य विश्वविद्याालय के किसी संकाय से है;

(ज) 'हॉल' अथवा 'छात्र निवास' का तात्पर्य छात्रों के निवास की किसी ऐसी इकाई से है, जो विश्वविद्यालय, या किसी घटक महाविद्यालय द्वारा अनुरक्षित हो, या मान्यता प्राप्त हो;

(झ) 'श्री वेदमाता गायत्री ट्रस्ट' का तात्पर्य शांतिकुञ्ज, हरिद्वार, उत्तरांचल स्थित पंजीकृत पूर्त न्यास से है;

(ट) 'नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों' का तात्पर्य उत्तरांचल राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट पिछड़े वर्ग के नागरिकों से है;

(ठ) 'विहित' का तात्पर्य 'परिनियमों द्वारा विहित' से है;

(ड) किसी घटक महाविद्यालय के सम्बन्ध में 'प्राचार्य' का तात्पर्य घटक महाविद्यालय के प्रधान से है और इसके अन्तर्गत, जहाँ प्राचार्य न हों, वहाँ उप-प्राचार्य या प्राचार्य के रूप में कार्य करने के लिये तत्समय नियुक्त किसी अन्य व्यक्ति से है;

(ढ) 'परिनियमों' और 'नियमावली' का तात्पर्य क्रमश: विश्वविद्यालय के परिनियमों और नियमावली से है;

(त) 'अध्यापक' का तात्पर्य आचार्य, सह-आचार्य, सहायक आचार्य, व्याख्याता या ऐसे अन्य व्यक्ति से है, जिसे विश्वविद्यालय या किसी घटक महाविद्यालय में शिक्षण प्रदान करने, या शोध कार्य के संचालन के लिये नियुक्त किया जाये और इसके अन्तर्गत किसी घटक महाविद्यालय का प्राचार्य भी आता है;

(थ) 'विश्वविद्यालय' का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन स्थापित देव संस्कृति विश्वविद्यालय से है;

(द) 'राज्य' का तात्पर्य उत्तरांचल राज्य से है;

अध्याय-२

विश्वविद्यालय और उसके उद्देश्य

विश्वविद्यालय की स्थापना

३. (१) श्री वेदमाता गायत्री ट्रस्ट को इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार विश्वविद्यालय स्थापित करने का अधिकार होगा।

(२) श्री वेदमाता गायत्री ट्रस्ट, इस अधिनियम के अधीन विश्वविद्यालय स्थापना के प्रयोजनों के लिये, निम्नलिखित शर्तों को पूरा करेगा, अर्थात्:-

(क) भूमि के उतने क्षेत्र का अधिग्रहण करेगा, जितना कि वह विश्वविद्यालय की स्थापना के लिये आवश्यक समझे;

(ण) 'संकाय' का तात्पर्य विश्वविद्याालय के किसी संकाय से है;

(त) 'हॉल' अथवा 'छात्र निवास' का तात्पर्य छात्रों के निवास की किसी ऐसी इकाई से है, जो विश्वविद्यालय, या किसी घटक महाविद्यालय द्वारा अनुरक्षित हो, या मान्यता प्राप्त हो;

(झ) 'श्री वेदमाता गायत्री ट्रस्ट' का तात्पर्य शांतिकुञ्ज, हरिद्वार, उत्तरांचल स्थित पंजीकृत पूर्त न्यास से है;

(ट) 'नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों' का तात्पर्य उत्तरांचल राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट पिछड़े वर्ग के नागरिकों से है;

(ठ) 'विहित' का तात्पर्य 'परिनियमों द्वारा विहित' से है;

(ड) किसी घटक महाविद्यालय के सम्बन्ध में 'प्राचार्य' का तात्पर्य घटक महाविद्यालय के प्रधान से है और इसके अन्तर्गत, जहाँ प्राचार्य न हों, वहाँ उप-प्राचार्य या प्राचार्य के रूप में कार्य करने के लिये तत्समय नियुक्त किसी अन्य व्यक्ति से है;

(ढ) 'परिनियमों' और 'नियमावली' का तात्पर्य क्रमश: विश्वविद्यालय के परिनियमों और नियमावली से है;

(त) 'अध्यापक' का तात्पर्य आचार्य, सह-आचार्य, सहायक आचार्य, व्याख्याता या ऐसे अन्य व्यक्ति से है, जिसे विश्वविद्यालय या किसी घटक महाविद्यालय में शिक्षण प्रदान करने, या शोध कार्य के संचालन के लिये नियुक्त किया जाये और इसके अन्तर्गत किसी घटक महाविद्यालय का प्राचार्य भी आता है;

(थ) 'विश्वविद्यालय' का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन स्थापित देव संस्कृति विश्वविद्यालय से है;

(द) 'राज्य' का तात्पर्य उत्तरांचल राज्य से है;

अध्याय-२

विश्वविद्यालय और उसके उद्देश्य

विश्वविद्यालय की स्थापना

३. (१) श्री वेदमाता गायत्री ट्रस्ट को इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार विश्वविद्यालय स्थापित करने का अधिकार होगा।

(२) श्री वेदमाता गायत्री ट्रस्ट, इस अधिनियम के अधीन विश्वविद्यालय स्थापना के प्रयोजनों के लिये, निम्नलिखित शर्तों को पूरा करेगा, अर्थात्:-

(क) भूमि के उतने क्षेत्र का अधिग्रहण करेगा, जितना कि वह विश्वविद्यालय की स्थापना के लिये आवश्यक समझे;

(ख) इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये एक स्थायी विन्यास निधि, सामान्य निधि और विकास निधि का सृजन करेगा;

(ग) विश्वविद्यालय को क्रियाशील बनाने के लिए अवस्थापना और अन्य आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था करेगा;

(घ) परिनियमावली और नियमावली बनायेगा; और

(च) ऐसी अन्य शर्तें, जैसी राज्य सरकार द्वारा विश्वविद्यालय की स्थापना के पूर्व पूरी किये जाने की अपेक्षा की जाय।

(३) जहाँ राज्य सरकार का यह समाधान हो जाय कि श्री वेद माता गायत्री ट्रस्ट, शांतिकुंज, हरिद्वार ने उपधारा (२) में विनिर्दिष्ट शर्तों को पूरा कर लिया है, वहाँ राज्य सरकार श्री वेद माता गायत्री ट्रस्ट, शांतिकुंज, हरिद्वार को विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए प्राधिकार प्रमाण-पत्र निर्गत करेगी।

(४) उपधारा (३) के अधीन प्राधिकार प्रमाण-पत्र की प्राप्ति पर श्री वेद माता गायत्री ट्रस्ट, शांतिकुंज, हरिद्वार, देवसंस्कृति विश्वविद्यालय के नाम से एक विश्वविद्यालय की स्थापना करेगा।

(५) देवसंस्कृति विश्वविद्यालय का मुख्यालय शांतिकुंज, हरिद्वार, उत्तरांचल में स्थित होगा और वह अपनी अधिकारिता के अन्दर ऐसी अन्य जगहों पर भी अपने निवेश स्थापित कर सकती है।

(६) कुलाधिपति, कुलपति, व्यवस्थापक मण्डल के सदस्य, प्रबंध मण्डल और विद्या परिषद् के सदस्य विश्वविद्यालय में तत्समय इस रूप में पद-धारक विश्वविद्यालय के नाम से एक निगमित निकाय गठित करेंगे।

(७) उपधारा (४) के अधीन विश्वविद्यालय की स्थापना पर देव संस्कृति विश्वविद्यालय द्वारा विश्वविद्यालय के प्रयोजनों के लिए अधिगृहीत, सृजित, व्यवस्थित या निर्मित भूमि और अन्य जंगम और स्थावर सम्पत्तियाँ, श्री वेदमाता गायत्री ट्रस्ट हरिद्वार की सम्पत्तियों के अतिरिक्त विश्वविद्यालय को स्थानान्तरित और उसमें निहित हो जायेंगी।

(८) विश्वविद्यालय द्वारा अधिगृहीत भूमि, भवन एवं अन्य सम्पत्तियों का जिस निमित्त अधिगृहीत है, उसके अलावा किन्हीं अन्य प्रयोग के निमित्त परिवर्तन नहीं किया जायेगा,

विश्वविद्यालय का वित्तीय सहायता आदि के लिए हकदार न होना

४. विश्वविद्यालय राज्य सरकार से, या राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन, या नियंत्रणाधीन किसी अन्य निकाय, या निगम से किसी सहायता अनुदान, या कोई अन्य वित्तीय सहायता की कोई माँग नहीं करेगा और नहीं उसके लिए हकदार होगा।

किसी संस्था को सम्बद्ध करने की शक्ति न होना

५. विश्वविद्यालय में घटक महाविद्यालय हो सकते हैं, किन्तु उसे किसी अन्य महाविद्यालय, या संस्था को सम्बद्धता का विशेषाधिकार प्रदान करने की शक्ति नहीं होगी।

विश्वविद्यालय के उद्देश्य

६. **विश्वविद्यालय के उद्देश्य**:-जिन उद्देश्यों के लिए देव संस्कृति विश्वविद्यालय की स्थापना की जा रही है, वे इस प्रकार हैं :-

(क) देव संस्कृति विश्वविद्यालय का उद्देश्य देवसंस्कृति के सभी मौलिक तत्त्वों के व्यापक अध्ययन-शिक्षण एवं आधुनिक वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य में इनके शोध-अनुसंधान का सुव्यवस्थित तंत्र खड़ा करना है और '**वसुधैव कुटुम्बकम्**' के

(ख) इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये एक स्थायी विन्यास निधि, सामान्य निधि और विकास निधि का सृजन करेगा;

(ग) विश्वविद्यालय को क्रियाशील बनाने के लिए अवस्थापना और अन्य आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था करेगा;

(घ) परिनियमावली और नियमावली बनायेगा; और

(च) ऐसी अन्य शर्तें, जैसी राज्य सरकार द्वारा विश्वविद्यालय की स्थापना के पूर्व पूरी किये जाने की अपेक्षा की जाय।

(३) जहाँ राज्य सरकार का यह समाधान हो जाय कि श्री वेद माता गायत्री ट्रस्ट, शांतिकुंज, हरिद्वार ने उपधारा (२) में विनिर्दिष्ट शर्तों को पूरा कर लिया है, वहाँ राज्य सरकार श्री वेद माता गायत्री ट्रस्ट, शांतिकुंज, हरिद्वार को विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए प्राधिकार प्रमाण-पत्र निर्गत करेगी।

(४) उपधारा (३) के अधीन प्राधिकार प्रमाण-पत्र की प्राप्ति पर श्री वेद माता गायत्री ट्रस्ट, शांतिकुंज, हरिद्वार, देवसंस्कृति विश्वविद्यालय के नाम से एक विश्वविद्यालय की स्थापना करेगा।

(५) देवसंस्कृति विश्वविद्यालय का मुख्यालय शांतिकुंज, हरिद्वार, उत्तरांचल में स्थित होगा और वह अपनी अधिकारिता के अन्दर ऐसी अन्य जगहों पर भी अपने निवेश स्थापित कर सकती है।

(६) कुलाधिपति, कुलपति, व्यवस्थापक मण्डल के सदस्य, प्रबंध मण्डल और विद्या परिषद् के सदस्य विश्वविद्यालय में तत्समय इस रूप में पद-धारक विश्वविद्यालय के नाम से एक निगमित निकाय गठित करेंगे।

(७) उपधारा (४) के अधीन विश्वविद्यालय की स्थापना पर देव संस्कृति विश्वविद्यालय द्वारा विश्वविद्यालय के प्रयोजनों के लिए अधिगृहीत, सृजित, व्यवस्थित या निर्मित भूमि और अन्य जंगम और स्थावर सम्पत्तियाँ, श्री वेदमाता गायत्री ट्रस्ट हरिद्वार की सम्पत्तियों के अतिरिक्त विश्वविद्यालय को स्थानान्तरित और उसमें निहित हो जायेंगी।

(८) विश्वविद्यालय द्वारा अधिगृहीत भूमि, भवन एवं अन्य सम्पत्तियों का जिस निमित्त अधिगृहीत है, उसके अलावा किन्हीं अन्य प्रयोग के निमित्त परिवर्तन नहीं किया जायेगा,

४. विश्वविद्यालय राज्य सरकार से, या राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन, या नियंत्रणाधीन किसी अन्य निकाय, या निगम से किसी सहायता अनुदान, या कोई अन्य वित्तीय सहायता की कोई माँग नहीं करेगा और नहीं उसके लिए हकदार होगा। विश्वविद्यालय का वित्तीय सहायता आदि के लिए हकदार न होना

५. विश्वविद्यालय में घटक महाविद्यालय हो सकते हैं, किन्तु उसे किसी अन्य महाविद्यालय, या संस्था को सम्बद्धता का विशेषाधिकार प्रदान करने की शक्ति नहीं होगी। किसी संस्था को सम्बद्ध करने की शक्ति न होना

६. **विश्वविद्यालय के उद्देश्य**:-जिन उद्देश्यों के लिए देव संस्कृति विश्वविद्यालय की स्थापना की जा रही है, वे इस प्रकार हैं :- विश्वविद्यालय के उद्देश्य

(क) देव संस्कृति विश्वविद्यालय का उद्देश्य देवसंस्कृति के सभी मौलिक तत्त्वों के व्यापक अध्ययन-शिक्षण एवं आधुनिक वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य में इनके शोध-अनुसंधान का सुव्यवस्थित तंत्र खड़ा करना है और '**वसुधैव कुटुम्बकम्**' के

अपने आदर्श सूत्र के अनुरूप इसके द्वारा बिना किसी भेदभाव के समूचे देश एवं विश्व भर में फैली समूची मानव जाति को लाभान्वित करना है।

देवसंस्कृति का सही अर्थ देवभूमि भारत के ऋषियों, संतों एवं मनीषियों द्वारा स्थापित जीवन मूल्यों, परम्पराओं एवं प्रयोगों में निहित है। इन्हें अपनाकर मनुष्य सहज ही अपने दैवी एवं दिव्य गुणों को विकसित कर सकता है।

देव संस्कृति विश्वविद्यालय के कार्य के मूल बिन्दु निम्न होंगे, जिनमें :-

१. **साधना** का अर्थ है-मानव चेतना में आदर्शोन्मुखी चिंतन एवं प्रवृत्तियों के विकास-सम्बन्धी प्रयोग एवं शिक्षण।

२. **स्वास्थ्य** के अंतर्गत मनुष्य के स्वस्थ शारीरिक एवं मानसिक जीवन के लिए आयुर्वेद सहित अन्य वैकल्पिक चिकित्सा विधियों पर गहन शोध, शिक्षा एवं चिकित्सा की व्यवस्था जुटायी जाएगी।

३. **शिक्षा** के अन्तर्गत मानव जीवन के सभी आयामों को दैवी जीवन के अनुरूप प्रशिक्षित करने वाले दार्शनिक, साहित्यिक एवं वैज्ञानिक पाठ्यक्रमों को लागू किया जाएगा।

४. **स्वावलम्बन** के अंतर्गत उन पाठ्यक्रमों एवं योजनाओं को क्रियान्वित किया जाएगा जो 'बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय' की नीति का पालन करते हुए युवा पीढ़ी को मूल्यनिष्ठ, स्वावलम्बी एवं सुखी बना सके और साथ ही पर्यावरण के भी अनुकूल हों।

(ख) शिक्षण की सभी अग्रलिखित शाखाओं में अनुदेश - मानविकी, यज्ञ चिकित्सा पद्धति, मंत्र विज्ञान, आयुर्विज्ञान जिसमें आयुर्वेद और उत्तरांचल में पाये जाने वाले प्राणी-जगत पर विशेष बल हो, वेदों का अध्ययन, पर्यावरण विज्ञान, यज्ञ चिकित्सा पद्धति, ग्रामीण एवं शहरी विकास जिसमें उत्तरांचल की संस्कृति का ध्यान रखा गया हो, यान्त्रिकी एवं प्रौद्योगिकी जिनमें प्राकृतिक आपदाओं के न्यूनीकरण, आपदा प्रबंधन, उद्यमकर्मिता, विकास प्रशिक्षण के जरिये स्वरोजगार जिसमें उत्तरांचल और उसकी जलवायु एवं भूगोल पर विशेष बल हो, छात्र और छात्राओं दोनों में स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिये सूचना प्रौद्योगिकी। छात्रों के बीच भारतीय संस्कृति को बढ़ावा देने के लिये विश्वविद्यालय विशेष प्रावधान करेगा।

(ग) शिक्षण की वैसी शाखाओं, जिन्हें वह उचित समझे, में अनुदेश एवं प्रशिक्षण प्रदान करना।

(घ) ज्ञान के अभिवर्धन और प्रसार के लिये अनुसंधान की व्यवस्था करना।

(ङ) समाज के सांस्कृतिक विकास में योगदान देने के लिये पाठ्येतर अध्ययन एवं अन्य क्रियाकलापों का जिम्मा लेना।

(च) विश्वविद्यालय के उद्देश्यों को प्रोन्नत करने के लिये ऐसे सारे कार्य एवं संक्रियाओं, जो कि आवश्यक या साध्य हों, को करना।

७. **विश्वविद्यालय की निम्नलिखित शक्तियाँ होंगी:-**

विश्वविद्यालय की शक्तियाँ

(क) भारतीय संस्कृति, मानविकी, सूचना प्रौद्योगिकी एवं सहबद्ध क्षेत्रों की सभी शाखाओं में शिक्षण की व्यवस्था करना और अनुसंधान एवं ज्ञान-अभिवर्धन और प्रसार के निमित्त व्यवस्था करना;

(ख) उपाधियों या अन्य शैक्षणिक विशिष्टताओं को संस्थित एवं प्रदान करना;

(ग) ऐसे व्यक्तियों के लिए परीक्षाओं का आयोजन करना तथा उन्हें उपाधियाँ या अन्य शैक्षणिक विशिष्टताएं स्वीकृत और प्रदान करना, जिन्होंने—

(अ) विश्वविद्यालय या किसी घटक महाविद्यालय में, या किसी दूरस्थ शिक्षा पद्धति के अधीन किसी शिक्षण पाठ्यक्रम का अध्ययन किया हो; या

(ब) विश्वविद्यालय या किसी घटक महाविद्यालय में, या किसी दूरस्थ शिक्षा पद्धति के अधीन शोध-कार्य किया हो;

(घ) परिनियमों में अभिकथित रीति से और शर्तों के अधीन मानद् उपाधियाँ, या अन्य शैक्षणिक विशिष्टतायें प्रदान करना;

(च) परिनियमों के अनुसार अधिछात्रवृत्तियाँ, छात्रवृत्तियाँ, विद्यावृत्तियाँ, छात्र-सहायता वृत्तियों तथा पारितोषिकों को संस्थित एवं प्रदान करना;

(छ) ऐसी फीस और प्रभार को मांगना और प्राप्त करना जो यथास्थिति परिनियमों या अधिनियमों द्वारा नियत किये जायें;

(ज) खण्ड (6) में उल्लिखित भारतीय संस्कृति और सहबद्ध क्षेत्रों में शिक्षा की अभिवृद्धि के लिए व्यवस्था करना;

(झ) छात्रों और कर्मचारियों के लिए पाठ्येतर क्रिया-कलापों की व्यवस्था करना;

(ट) विश्वविद्यालय, या किसी घटक महाविद्यालय के अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति करना;

(ठ) श्री वेदमाता गायत्री ट्रस्ट शान्तिकुञ्ज, हरिद्वार की पूर्व अनुमति के उपरान्त विश्वविद्यालय, या किसी घटक महाविद्यालय के प्रयोजनार्थ उपकृतियाँ, संदान और दान प्राप्त करना और न्यास और विन्यास की सम्पत्तियों सहित किसी जंगम या स्थावर सम्पत्ति का अधिग्रहण, धारण, प्रबन्ध और निस्तारण करना;

(ड) छात्र निवासों को संस्थित और अनुरक्षित करना और विश्वविद्यालय, या किसी घटक महाविद्यालय, के छात्रों के लिए निवास स्थानों को मान्यता देना;

(ढ) विश्वविद्यालय या किसी घटक महाविद्यालय के छात्रों के निवास का पर्यवेक्षण और नियंत्रण करना और उनमें अनुशासन को विनियमित करना और उनके स्वास्थ्य सुधार की व्यवस्था करना;

(त) प्रशासकीय, लिपिक-वर्गीय, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों एवं अन्य आवश्यक पदों का सृजन करना;

(थ) अन्य विश्वविद्यालयों से ऐसी रीति से तथा ऐसे प्रयोजनों के लिए सहकार्य या सहयोग करना, जिन्हें विश्वविद्यालय समय-समय पर अवधारित करें;

(ट) दूरस्थ शिक्षा पद्धति की व्यवस्था करना;

(ठ) अध्यापकों, मूल्याँककों और अन्य शैक्षणिक कर्मचारिवृन्द के लिए पुनश्चर्या पाठ्यक्रम, अभिविन्यास पाठ्यक्रम, कार्यशालाएँ, विचार-गोष्ठियाँ और अन्य कार्यक्रम आयोजित और संचालित करना।

(न) विश्वविद्यालय या किसी घटक महाविद्यालय में विशिष्ट समितियों के माध्यम से एवं शैक्षणिक परिषद् के अनुमोदन से प्रवेश के मानक अवधारित करना;

(प) राज्य सरकार के आदेशों के अनुसार विश्वविद्यालय या किसी घटक महाविद्यालय में किसी शिक्षण पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के छात्रों के लिये विशेष उपबंध करना;

(फ) विश्वविद्यालय या किसी घटक महाविद्यालय के सभी श्रेणियों के कर्मचारियों/ अधिकारियों की सेवा-शर्तों को अधिकथित करना;

(ब) विश्वविद्यालय के उद्देश्यों को अग्रसर करने के लिए यथा आवश्यक ऐसे सभी अन्य कार्य करना, चाहे वे उपर्युक्त शक्तियों के आनुषांगिक हों या न हों।

(भ) विश्वविद्यालय द्वारा स्नातक, स्नातकोत्तर एवं शोध कार्य उपाधि के ऐसे ही पाठ्यक्रम रखना जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग तथा अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा आच्छादित हो, परन्तु डिप्लोमा, सर्टिफिकेट आदि दिये जाने के संबंध में अपना पाठ्यक्रम लागू करने हेतु विश्वविद्यालय को स्वतंत्रता होगी।

(म) विश्वविद्यालय की शैक्षिक गतिविधियों को ट्रस्ट की अन्य गतिविधियों से अलग रखा जायेगा।

८. विश्वविद्यालय सभी व्यक्तियों के लिए खुला होगा भले ही वे किसी वर्ग, पंथ या लिंग के हों: **विश्वविद्यालय में सभी वर्गों, जातियों, मतों एवं लिंगों की पहुँच होगी**

परन्तु यह कि इस धारा की किसी बात से यह नहीं समझा जायेगा कि विश्वविद्यालय को अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों और ऐसी अन्य श्रेणियों, जैसी राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट की जाय, के प्रवेश के लिए विशेष उपबन्ध बनाना मना है;

परन्तु अग्रेतर यह कि इस धारा की किसी बात से यह नहीं समझा जाएगा कि विश्वविद्यालय या किसी घटक महाविद्यालय द्वारा किसी भी शिक्षण पाठ्यक्रम में परिनियमों द्वारा अवधारित संख्या से अधिक छात्र प्रविष्ट करने की अपेक्षा है।

९. ऐसे छात्र से, जो दूरस्थ शिक्षा पद्धति द्वारा शिक्षण पाठ्यक्रम का अध्ययन करता है, से भिन्न विश्वविद्यालय का प्रत्येक छात्र सामान्यत: छात्र निवास (हॉल/छात्रावास) में ऐसे निबन्धनों और शर्तों के अधीन निवास करेगा जैसा नियमावली द्वारा विहित किये जायें। **छात्रों का आवास**

अध्याय-तीन

विश्वविद्यालय के अधिकारी

१०. विश्वविद्यालय के निम्नलिखित अधिकारी होंगे:- विश्वविद्यालय के अधिकारी

(क) कुलाधिपति;

(ख) कुलपति;

(ग) प्रति-कुलाधिपति;

(घ) संकायों के संकायाध्यक्ष;

(च) कुल सचिव;

(छ) वित्त अधिकारी; और

(ज) ऐसे अन्य अधिकारी, जो परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय के अधिकारी घोषित किये जायें।

११. (१) डॉ. प्रणव पण्ड्या, ट्रस्टी, श्री वेदमाता गायत्री ट्रस्ट, शान्तिकुञ्ज, हरिद्वार, उत्तरांचल, निदेशक, ब्रह्मवर्चस् शोध संस्थान और प्रमुख, अखिल विश्व गायत्री परिवार, इस देव संस्कृति विश्वविद्यालय के प्रथम कुलाधिपति होंगे, जिनका कार्यकाल पाँच वर्ष का होगा तत्पश्चात् वेदमाता गायत्री ट्रस्ट अपने ही ट्रस्टियों में से राज्य सरकार की पूर्व सहमति से पुनः कुलाधिपति नियुक्त करेगी। कुलाधिपति

(२) कुलाधिपति को ऐसी शक्तियाँ होंगी, जो उसे इस अधिनियम, या इसके अधीन बनाये गये परिनियमों द्वारा प्रदान की जाय।

(३) प्रत्येक मानक उपाधि या विशिष्टता प्रदान करने का प्रस्ताव कुलाधिपति की पुष्टि के अध्यधीन होगा।

(४) कुलाधिपति, यदि उपस्थित हो, तो उपाधियाँ प्रदान करने के लिए आयोजित विश्वविद्यालपय के दीक्षान्त समारोह का सभापतित्व करेगा और वह विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी को अपनी ऐसी शक्तियाँ, जैसी वह आवश्यक समझे, प्रतिनिधायन कर सकेगा।

१२. (१) कुलाधिपति द्वारा उप-धारा (२) के उपबंधों के अनुसार गठित समिति द्वारा संस्तुत तीन व्यक्तियों की नाम-सूची में से तीन वर्ष की अवधि के लिए ऐसे निबंधनों और शर्तों पर, जैसी कि विहित की जायें, कुलपति की नियुक्ति की जायेगी।

(२) उपधारा (१) में निर्दिष्ट समिति में निम्नलिखित व्यक्ति होंगे, नामतः :-

(क) कुलाधिपति द्वारा नामित एक सदस्य;

(ख) राज्य सरकार के सचिव, उच्च शिक्षा;

(ग) व्यवस्थापक मण्डल के तीन नामनिर्देशिती, जिनमें से एक को व्यवस्थापक मण्डल द्वारा समिति के संयोजक के रूप में नामित किया जायगा।

(३) समिति योग्यता के आधार पर उपकुलाधिपति का पद धारण करने के लिये उपयुक्त तीन सदस्यों के नामों की एक नाम-सूची तैयार करेगी और प्रत्येक ऐसे व्यक्ति की शैक्षिक अर्हताओं और अन्य विशिष्टयों को दर्शाते हुए एक संक्षिप्त विवरण के साथ उसे कुलाधिपति को अग्रसारित करेगी।

(४) कुलपति विश्वविद्यालय का प्रमुख कार्यपालक और शैक्षणिक अधिकारी होगा, जो कि विश्वविद्यालाय के कार्यकलापों पर सामान्य पर्यवेक्षण और नियंत्रण रखेगा और विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों के विनिश्चयों को प्रभावी करेगा। कुलपति

(५) जहां अध्यापक की नियुक्ति से भिन्न कोई ऐसा अत्यावश्यक मामला हो, जिसमें तत्काल कार्रवाई करना अपेक्षित हो और उसके संबंध में कार्रवाई करने के लिये इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन सशक्त विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी या प्राधिकारी या अन्य निकाय द्वारा इस पर तत्काल कार्रवाई न की जा सके तो कुलाधिपति के पूर्व अनुमोदन से कुलपति ऐसी कार्रवाई कर सकेगा जो वह ठीक समझे।

(६) कुलपति ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग और ऐसे अन्य कर्त्तव्यों का पालन करेगा, जो परिनियमों या नियमावली द्वारा अधिकथित किये जायें।

(७) कुलाधिपति सम्यक् जाँच के बाद कुलपति को हटाये जाने में सशक्त हैं। कुलाधिपति, जाँच के दौरान आरोपों की गंभीरता के मद्देनजर, कुलपति को निलम्बित करने के लिए स्वतंत्र होगें।

१३. प्रति-कुलपति की नियुक्ति कुलपति द्वारा कुलाधिपति के पूर्वानुमोदन से ऐसी रीति से की जा सकेगी, जैसी कि परिनियमों में विहित की जाय और प्रति-कुलपति ऐसी शक्तियों का प्रयोग तथा ऐसे कृत्यों का पालन करेगा जो परिनियमों में विहित किये जायें। प्रति-कुलपति

१४. संकायों के संकायाध्यक्षों की नियुक्ति कुलपति द्वारा ऐसी रीति से की जायेगी जैसी विहित की जाय और वे ऐसी शक्तियों का प्रयोग तथा ऐसे कर्त्तव्यों का पालन करेंगे जो परिनियमों में विहित किये जायें। संकायों के संकायाध्यक्ष

१५. (१) कुल सचिव की नियुक्ति कुलाधिपति द्वारा ऐसी रीति से एवं ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर की जायेगी, जैसी की विहित की जाएँ। कुल सचिव

(२) कुलसचिव विश्वविद्यालय की ओर से सभी संविदायें करेगा और उन्हें हस्ताक्षरित करेगा।

(३) कुल सचिव को विश्वविद्यालय की ओर से अभिलेखों को अभिप्रमाणित करने की शक्ति होगी और वह ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग और ऐसे अन्य कर्त्तव्यों का पालन करेगा जो विहित किए जायें, या कुलाधिपति या कुलपति द्वारा समय-समय पर अपेक्षित हों।

(४) कुलसचिव, विश्वविद्यालय के अभिलेखों तथा सामान्य मुद्रा की सम्यक् अभिरक्षा के लिए उत्तरदायी होगा और वह कुलाधिपति, कुलपति या किसी अन्य प्राधिकारी के समक्ष ऐसी समस्त सूचनाएँ और दस्तावेज, जो उनके कार्य सम्पादन के लिए आवश्यक हों, प्रस्तुत करने के लिए बाध्य होगा।

वित्त अधिकारी

१६. वित्त अधिकारी कुलाधिपति द्वारा ऐसी रीति से नियुक्त किया जायेगा और वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग, अथवा ऐसे कर्त्तव्यों का पालन करेगा, जो कि विहित किये जायें, या कुलाधिपति, या कुलपति, या कुल-सचिव द्वारा समय-समय पर अपेक्षित हों।

अन्य अधिकारीगण

१७. विश्वविद्यालय के अन्य अधिकारियों की नियुक्ति की रीति, सेवा की निबन्धन और शर्तें, और शक्तियाँ और कर्त्तव्य ऐसे होंगे, जैसे कि विहित किये जायें।

अध्याय-चार

विश्वविद्यालय के प्राधिकारी

विश्वविद्यालय के प्राधिकारी

१८. विश्वविद्यालय के निम्नलिखित प्राधिकारी होंगे, :-

(क) व्यवस्थापक मण्डल;

(ख) प्रबन्ध मण्डल;

(ग) शैक्षिक (विद्या) परिषद;

(घ) वित्त समिति; और

(च) ऐसे अन्य प्राधिकारी, जो परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय के प्राधिकारी घोषित किये जाएं।

व्यवस्थापक बोर्ड और उसकी शक्तिया

१९. (१) व्यवस्थापक मण्डल में निम्नलिखित होंगे:-

(अ) कुलाधिपति — अध्यक्ष

(ब) कुलपति — सदस्य-सचिव

(स) श्री वेदमाता गायत्री ट्रस्ट, शान्तिकुञ्ज, हरिद्वार द्वारा नामित पाँच व्यक्ति।

(द) राज्य सरकार के उच्च शिक्षा सचिव

(य) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा नामित सदस्य

(र) कुलाधिपति द्वारा नामित दो शिक्षाविद्।

(ल) उत्तरांचल विधान सभा के तीन मा. विधायक गण।

(२) व्यवस्थापक मण्डल विश्वविद्यालय का प्रशासनिक निकाय होगा और उसकी शक्तियाँ निम्नलिखित होंगी:- व्यवस्थापक मण्डल एवं उसकी शक्तियाँ

(क) विश्वविद्यालय के अन्य प्राधिकारियों के विनिश्चयों का, यदि वे इस अधिनियम या परिनियमों या नियमावली के उपबन्धों के अनुरूप न हों, पुनरावलोकन करना;

(ख) विश्वविद्यालय के बजट और वार्षिक रिपोर्ट को अनुमोदित करना;

(ग) विश्वविद्यालय द्वारा अनुसरण की जाने वाली नीतियों का निर्धारण करना;

(घ) नए या अतिरिक्त परिनियमों को बनाना, या पूर्व में बने परिनियमों को संशोधित या निरसित करना;

(च) विश्वविद्यालय के स्वैच्छिक समापन के सम्बन्ध में विनिश्चय करना;

(छ) राज्य सरकार के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए प्रस्तावों को अनुमोदित करना; और

(ज) एक या अधिक पर्यवेक्षक नामित करना, जो कि समय-समय पर कुलाधिपति की सलाह एवं निर्देशों के अन्तर्गत नीति एवं ढाँचा निर्धारित करेगा/करेंगे, जिसके अन्तर्गत प्रबन्ध मण्डल, विद्या परिषद, वित्त समिति एवं अन्य ऐसे प्राधिकरण जो कि परिनियमों द्वारा घोषित हों, विश्वविद्यालय के उचित प्रशासन के लिए कार्य करेंगे एवं प्रस्ताव पारित करेंगे।

(३) व्यवस्थापक मण्डल वर्ष में तीन बैठक ऐसे समय और स्थान पर रखेगा, जैसा कि कुलाधिपति उचित समझें। प्रबन्ध मण्डल

(१) प्रबन्ध मण्डल में निम्नलिखित होंगे:-

(अ) कुलपति;

(ब) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का एक नामित व्यक्ति

(स) श्री वेदमाता गायत्री ट्रस्ट, शान्तिकुञ्ज, हरिद्वार द्वारा नामित पाँच व्यक्ति

(द) विश्वविद्यालय के दो प्राध्यापक, प्रत्येक भिन्न-भिन्न क्षेत्रों से, ज्येष्ठता के आधार पर चक्रानुक्रम से,

(य) कुलाधिपति द्वारा संकायों के दो नामित संकायाध्यक्ष;

(र) राज्य सरकार के उच्च शिक्षा सचिव या उनके द्वारा नामित सदस्य संयुक्त सचिव से निम्न स्तर का न हो;

कुलपति प्रबन्ध मण्डल का सभापति तथा कुल सचिव प्रबन्ध मण्डल का सचिव होगा।

(२) प्रबन्ध मण्डल की शक्तियाँ एवं कृत्य वही होंगे, जो विहित किये जायें।

शैक्षिक (विद्या) परिषद

२१. (१) शैक्षिक (विद्या) परिषद् में निम्नलिखित होंगे:-

(अ) कुलपति — सभापति

(ब) कुल सचिव — सचिव

(स) अन्य सदस्य - — परिनियमों में विहित किये जायें।

(२) शैक्षिक परिषद्, विश्वविद्यालय की प्रमुख शैक्षणिक निकाय होगी और इस अधिनियम के अधीन निर्मित नियमों, परिनियमों तथा नियमावली के अन्तर्गत रहते हुए, विश्वविद्यालय की शैक्षणिक नीतियों में समन्वय स्थापित करेगी और उनका पर्यवेक्षण करेगी।

वित्त समिति

२२. (१) वित्त समिति में निम्नलिखित होंगे:-

(अ) कुलपति — सभापति

(ब) वित्त अधिकारी;

(स) राज्य सरकार के उच्च शिक्षा सचिव या उनके द्वारा नामित प्रतिनिधि जो संयुक्त सचिव स्तर से नीचे न हो।

(द) ऐसे अन्य सदस्य, जो विहित किये जायें;

(२) वित्त समिति विश्वविद्यालय की प्रमुख वित्तीय निकाय होगी, जो वित्तीय मामलों की देखभाल करेगी और इस अधिनियम के अधीन निर्मित नियमों, परिनियमों तथा नियमावली के अध्यधीन रहते हुए समन्वय स्थापित करेगी एवं विश्वविद्यालय के वित्तीय मामलों पर सामान्य पर्यवेक्षण रखेगी।

अन्य प्राधिकारीगण

२३. विश्वविद्यालय के अन्य प्राधिकारियों का गठन, उनकी शक्तियाँ और कृत्य ऐसे होंगे, जैसे कि विहित किये जायें।

रिक्ति के कारण कार्यवाही का अवधिमान्य न होना

२४. विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी का कोई कार्य या कार्यवाही केवल इस कारण अविधिमान्य न होगी कि प्राधिकारी के गठन में कोई रिक्ति या त्रुटि विद्यमान थी।

अध्याय-पाँच

परिनियम और नियमावली

२५. इस अधिनियम के अधीन निर्मित नियमों के उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए, परिनियमों में विश्वविद्यालय से संबद्ध किसी विषय के लिए उपबन्ध किए जा सकेंगे और विशेष रूप से निम्नलिखित के लिए उपबन्ध किये जायेंगे:- परिनियम

(क) विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों के कार्य-सम्पादन की और ऐसी इकाइयों के गठन की, जो इस अधिनियम में विनिर्दिष्ट नहीं की गई हैं, प्रकिया;

(ख) स्थाई विन्यास निधि, सामान्य निधि और विकास निधि की संक्रिया;

(ग) कुलपति, कुल-सचिव और वित्त अधिकारी की नियुक्ति की सेवा, शर्तें उनकी शक्तियाँ एवं कृत्य;

(घ) विश्वविद्यालय के अन्य अधिकारियों, अध्यापकों और कर्मचारियों की भर्ती की रीति और सेवा की शर्तें;

(च) विश्वविद्यालय और उसके अधिकारियों, संकाय के सदस्यों, कर्मचारियों और छात्रों के मध्य विवादों के निराकरण की प्रक्रिया;

(छ) विभागों और संकायों का सृजन, समापन और उनकी पुनर्संरचना;

(ज) अन्य विश्वविद्यालयों या उच्चतर ज्ञान की संस्थाओं के साथ सहयोग की रीति;

(झ) मानद् उपाधियों को प्रदान करने की प्रकिया;

(ट) विद्यावृत्तियों और छात्रवृत्तियों की स्वीकृति के संबंध में उपबन्ध;

(ठ) विभिन्न शिक्षण पाठ्यक्रमों में स्थानों की संख्या और ऐसे पाठ्यक्रमों में छात्रों के प्रवेश की, जिसमें स्थानों का आरक्षण भी सम्मिलित है, प्रक्रिया;

(ड) विभिन्न शिक्षण पाठ्यक्रमों के लिए छात्रों से लिये जाने वाला शुल्क;

(ढ) अधिछात्रवृत्तियों, छात्रवृत्तियों, विद्यावृत्तियों, फीस, माफी, पदकों और पारितोषकों को संस्थित करना;

(त) पदों के सृजन और समापन की प्रक्रिया;

(थ) अन्य मामले जिन्हें विहित किया जाना हो, या जो विहित किये जायें।

२६. (१) परिनियम श्री वेदमाता गायत्री ट्रस्ट, शांतिकुंज, हरिद्वार द्वारा बनाए जायेंगे और इस प्रकार बनाए गये परिनियमों को राज्य सरकार के अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया जायेगा, जो उपान्तर के साथ या बिना उपान्तर के, परिनियमों की प्राप्ति की दिनांक के तीन माह के भीतर अपना अनुमोदन दे सकेगी। परिनियम कैसे बनाए जायेंगें

(२) जहाँ राज्य सरकार उपधारा (१) के अधीन विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर परिनियमों के अनुमोदन के संबंध में कोई विनिश्चय करने में असफल रहती है, वहाँ यह समझा जाएगा कि राज्य सरकार ने परिनियमों को अनुमोदित कर दिया है।

२७. व्यवस्थापक मंडल राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से नये या अतिरिक्त परिनियम बना सकेगा, या परिनियमों का संशोधन या निरसन कर सकेगा। **परिनियम में संशोधन करने की शक्ति**

२८. इस अधिनियम, नियमों और परिनियमों के उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए, नियमावली में निम्नलिखित समस्त या उनमें से किसी विषय के लिए उपबन्ध किये जा सकेंगे, अर्थात्:- **अधिनियम**

(क) विश्वविद्यालय में छात्रों का प्रवेश, उनका नामांकन होना और इस रूप में बने रहना;

(ख) विश्वविद्यालय की सभी उपाधियों और अन्य शैक्षिक विशिष्टताओं के लिए निर्धारित किये जाने वाले अध्ययन पाठ्यक्रम;

(ग) उपाधियों तथा अन्य विद्या-संबंधी विशिष्टताओं को प्रदान करना;

(घ) अधिछात्रवृत्तियाँ, छात्रवृत्तियाँ, विद्यावृत्तियाँ, पदक तथा पारितोषिक प्रदान करने की शर्तें;

(च) परीक्षाओं का संचालन तथा परीक्षा निकायों, परीक्षकों, अन्तरीक्षकों, सारणीकारों तथा अनुसीमकों की नियुक्ति की शर्तें और रीति तथा उनके कर्त्तव्य;

(छ) विश्वविद्यालय की परीक्षाओं, उपाधियों और अन्य शैक्षिक विशिष्टताओं में प्रवेश के लिए ली जाने वाली शुल्क;

(ज) विश्वविद्यालय या किसी घटक महाविद्यालय में छात्रों के निवास की शर्तें;

(झ) विश्वविद्यालय या किसी घटक महाविद्यालय के छात्रों में अनुशासन बनाए रखना;

(ट) अन्य सभी विषय जिनके लिए इस अधिनियम के अधीन निर्मित नियमों या परिनियमों में प्रावधान किया जायें।

२९. (१) नियमावली श्री वेदमाता गायत्री ट्रस्ट, शान्तिकुञ्ज, हरिद्वार द्वारा बनायी जायेगी और इस प्रकार बनायी गयी नियमावली राज्य सरकार को उसके अनुमोदन के लिए प्रस्तुत की जायेगी, जो कि नियमावली की प्राप्ति के दिनांक से तीन माह के भीतर उपान्तर के साथ, या बिना उपान्तर के अपना अनुमोदन दे सकेगी। **प्रथम नियमावली**

(२) जहाँ राज्य सरकार उपधारा (१) के अधीन विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर नियमावली के अनुमोदन के संबंध में कोई विनिश्चय करने में असफल रहती है, वहाँ यह समझा जाएगा कि राज्य सरकार ने नियमावली को अनुमोदित कर दिया है।

३०. राज्य सरकार के अनुमोदन के अध्यधीन रहते हुए और प्रबन्ध बोर्ड के अनुमोदन से, शैक्षिक परिषद् नये या अतिरिक्त नियमावली बना सकेगी, या नियमावली को संशोधित, या निरसित कर सकेगी। **नियमावली को संशोधित करने की शक्ति**

अध्याय-छः

प्रकीर्ण

कर्मचारियों की सेवा शर्तें

३१. (१) प्रत्येक कर्मचारी की नियुक्ति एक लिखित संविदा के अधीन की जायेगी, जो विश्वविद्यालय के पास रखी जायेगी और उसकी एक प्रति सम्बन्धित कर्मचारी को दी जायेगी।

(२) विश्वविद्यालय, परिनियमों में विहित प्रक्रिया के अनुसार, छात्रों या कर्मचारीवृन्द के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई करने में सशक्त होगी।

(३) विश्वविद्यालय और किसी कर्मचारी के बीच संविदा से उत्पन्न होने वाला कोई विवाद, कर्मचारी के अनुरोध पर आर्बिटेशन अधिकरण को निर्दिष्ट किया जायेगा, जिसमें प्रबन्ध मंडल द्वारा नियुक्त एक सदस्य, सम्बन्धित कर्मचारी द्वारा नाम-निर्दिष्ट एक सदस्य और कुलाधिपति द्वारा नियुक्त एक अधिनिर्णायक होंगे।

(४) ऐसे मामलों में अधिकरण का विनिश्चय अन्तिम होगा।

(५) अधिकरण के कार्य को विनियमित करने की प्रक्रिया ऐसी होगी जैसी विहित की जाये।

छात्रों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही

३२. विश्वविद्यालय द्वारा किसी छात्र के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही परिनियमों के अनुसार होगी।

अपील करने का अधिकारी

३३. विश्वविद्यालय या किसी घटक महाविद्यालय के प्रत्येक कर्मचारी या छात्र को, इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, यथास्थिति, विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी या प्राधिकारी या किसी ऐसे महाविद्यालय के प्राचार्य के विनिश्चय के विरुद्ध प्रबन्ध मंडल को, ऐसे समय के भीतर, जो विहित किया जाये, अपील करने का अधिकार होगा और उस पर प्रबन्ध मंडल ऐसे विनिश्चय को, जिसके विरुद्ध अपील की गयी है, पुष्ट, उपान्तरित या परिवर्तित कर सकेगा।

भविष्य एवं पेंशन निधियाँ

३४. विश्वविद्यालय अपने कर्मचारियों के लाभ के लिए, ऐसी रीति से और ऐसी शर्तों के अध्यधीन रहते हुए, जो विहित की जायें, ऐसी भविष्य या पेंशन निधियों का गठन करेगा और ऐसी बीमा स्कीमों की व्यवस्था करेगा जैसी वह उचित समझे।

३५. यदि यह प्रश्न उत्पन्न हो कि क्या कोई व्यक्ति विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या अन्य निकाय के सदस्य के रूप में सम्यक् रूप से निर्वाचित या नियुक्त किया गया है, या उसका सदस्य होने का हकदार है, तो वह विषय कुलाधिपति को निर्दिष्ट किया जायगा, जिसका उस पर विनिश्चय अन्तिम होगा। विश्वविद्यालय प्राधिकारियों और निकायों के गठन के बारे में विवाद

३६. जहाँ विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी को, इस अधिनियम या परिनियमों के अधीन, समितियाँ नियुक्त करने की शक्ति प्रदान की गयी हो, वहाँ ऐसी समितियों में, अन्यथा उपबन्धित के सिवाय, सम्बन्धित प्राधिकारी का कोई, या समस्त सदस्य, या ऐसे अन्य व्यक्ति, यदि कोई हों, जिन्हें प्राधिकारी प्रत्येक मामले में उचित समझे, सम्मिलित होंगे। समितियों का गठन

३७. विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या निकाय के पदेन सदस्यों से भिन्न सदस्यों की किसी आकस्मिक रिक्ति की पूर्ति उसी रीति से की जायगी जिस रीति से वह सदस्य, जिसकी रिक्ति की पूर्ति करनी हो, चुना गया हो, और रिक्ति की पूर्ति करने वाला व्यक्ति ऐसे प्राधिकारी या निकाय का सदस्य उस अवशिष्ट अवधि के लिए होगा जिसके लिए वह व्यक्ति, जिसका स्थान वह भरता है, सदस्य बना रहता। आकस्मिक रिक्तियों की पूर्ति

३८. कोई वाद या अन्य विधिक कार्यवाही, किसी ऐसी बात के बारे में, जो इस अधिनियम या परिनियमों या अधिनियमों के उपबन्धों में से किसी के अनुसरण में सद्भावनापूर्वक की गई है, या की जाने के लिए तत्पर है, विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी या कर्मचारी के विरुद्ध संस्थित नहीं होगी। सद्भावनापूर्व की गई कार्रवाई के लिये संरक्षण

३९. इस अधिनियम के किन्हीं अन्य उपबन्धों या परिनियमों में किसी बात के होते हुये भी,:- संक्रमणकालीन उपबन्ध

(क) प्रथम कुलपति एवं प्रति कुलपति की नियुक्ति कुलाधिपति द्वारा की जायेगी और उक्त अधिकारी तीन वर्ष की अवधि के लिये पदधारण करेगा;

(ख) प्रथम कुल सचिव और प्रथम वित्त अधिकारी की नियुक्ति कुलाधिपति द्वारा की जाएगी और वह तीन वर्ष की अवधि के लिये पदधारण करेगा;

(ग) प्रथम व्यवस्थापक मण्डल में ग्यारह से अनधिक सदस्य, जो कुलाधिपति द्वारा नामनिर्दिष्ट होगा और तीन वर्ष की अवधि के लिये पद धारण करेगा, होंगे;

(घ) प्रथम प्रबन्ध मण्डल, प्रथम वित्त समिति और प्रथम शैक्षिक परिषद का गठन, कुलाधिपति द्वारा तीन वर्ष की अवधि के लिये किया जायगा।

४०. (१) विश्वविद्यालय कम से कम एक करोड़ रुपये की एक स्थायी विन्यास निधि स्थापित करेगा, जिसे वह आवश्यकता पड़ने पर स्वमेव ही बढ़ा सकेगा, परन्तु घटा नहीं सकता। स्थायी विन्यास निधि

(२) विश्वविद्यालय को स्थायी विन्यास निधि को विहित रीति से निवेश करने की शक्ति होगी;

(३) विश्वविद्यालय सामान्य निधि, या विकास निधि से कोई भी धनराशि स्थायी विन्यास निधि को अन्तरित कर सकेगा; किन्तु स्थायी विन्यास निधि की राशि को विश्वविद्यालय के विघटन की दशा छोड़कर किसी भी दशा में अन्तरित करना प्रतिबंधित होगा।

(४) उपधारा (१) में विनिर्दिष्ट धनराशि से प्राप्त आय का अधिकतम ७५ प्रतिशत विश्वविद्यालय द्वारा विकास कार्यों के लिए व्यय किया जा सकेगा जैसा कि धारा-४२ (च) में उपबंधित है। शेष २५ प्रतिशत आय स्थायी विन्यास निधि में पुनर्निवेशित की जा सकेगी।

सामान्य निधि

४१. (१) विश्वविद्यालय एक सामान्य निधि की स्थापना करेगा, जिसमें निम्नलिखित धनराशि जमा की जायेगी :-

(क) सभी फीस, जिसे विश्वविद्यालय द्वारा प्रभारित किया जाये;

(ख) किसी अन्य स्रोत से प्राप्त की गयी समस्त धनराशि;

(ग) श्री वेदमाता गायत्री ट्रस्ट, शान्तिकुञ्ज, हरिद्वार द्वारा किये गये सभी अंशदान; और

(घ) किसी अन्य व्यक्ति या निकाय द्वारा, जिसे तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा निषिद्ध न किया गया हो, इस निमित्त किये गये सभी अंशदान।

(२) सामान्य निधि में जमा धनराशि का उपयोग विश्वविद्यालय के सभी आवर्ती व्यय के लिये किया जायगा।

विकास निधि

४२. (१) विश्वविद्यालय एक विकास निधि भी स्थापित करेगा, जिसमें निम्नलिखित धनराशि जमा की जायेगी, :-

(क) विकास फीस, जिसे छात्रों से प्रभारित किया जाये;

(ख) विश्वविद्यालय के विकास के प्रयोजनों के लिये किसी अन्य स्रोत से प्राप्त की गयी समस्त धनराशि;

(ग) श्री वेदमाता गायत्री ट्रस्ट, शान्तिकुञ्ज, हरिद्वार द्वारा किये गये सभी अंशदान;

(घ) किसी अन्य व्यक्ति या निकाय द्वारा, जिसे तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा निषिद्ध न किया गया हो, इस निमित्त किये गये सभी अंशदान; और

(च) स्थायी विन्यास निधि से प्राप्त की गयी समस्त आय।

(२) विकास निधि में समय-समय पर जमा की गई धनराशि का उपयोग विश्वविद्यालय के विकास के लिये किया जायेगा।

निधि का अनुरक्षण

४३. धारा ४०, ४१ और ४२ के अधीन स्थापित निधियों को, व्यवस्थापक मण्डल के सामान्य पर्यवेक्षण और नियन्त्रण के अध्यधीन रहते हुए, विहित रीति से विनियमित और अनुरक्षित किया जायेगा।

वार्षिक प्रतिवेदन

४४. (१) विश्वविद्यालय का वार्षिक प्रतिवेदन प्रबन्ध मण्डल के निर्देशों के अधीन तैयार किया जायगा और उसे व्यवस्थापक मण्डल को अनुमोदन के लिये प्रस्तुत किया जायगा।

(२) व्यवस्थापक मण्डल, अपनी बैठक में वार्षिक प्रतिवेदन पर विचार करेगा और उसे उपान्तर के साथ, या बिना उपान्तर के अनुमोदित करेगा।

(३) व्यवस्थापक मण्डल द्वारा सम्यक रूप से अनुमोदित वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति राज्य सरकार को प्रेषित की जायेगी।

लेखा और संपरीक्षा

४५. (१) विश्वविद्यालय का वार्षिक लेखा और तुलन-पत्र प्रबन्ध मण्डल के निर्देशों के अधीन तैयार किये जायेंगे और किसी भी स्रोत से विश्वविद्यालय को प्रोद्भूत या प्राप्त समस्त धनराशि और ऐसी समस्त धनराशि की, जिनका वितरण या संदाय किया गया हो, विश्वविद्यालय द्वारा अनुरक्षित लेखों में प्रविष्टि की जायेगी।

(२) विश्वविद्यालय के वार्षिक लेखा और तुलन-पत्र की सम्परीक्षा ऐसे न्यूनतम दो सम्परीक्षकों द्वारा प्रति वर्ष की जायेगी, जो Indian Institute of Chartered Accountant के सदस्य हों।

(३) सम्परीक्षा प्रतिवेदन के साथ वार्षिक लेखा और तुलन-पत्र की एक प्रति व्यवस्थापक मण्डल को प्रस्तुत की जायेगी।

(४) व्यवस्थापक मण्डल द्वारा वार्षिक लेखा, तुलन-पत्र और सम्परीक्षा प्रतिवेदन पर अपनी बैठक में विचार किया जायेगा और व्यवस्थापक मण्डल उस पर अपने संप्रेक्षण के साथ उसे राज्य सरकार को अग्रसारित करेगा।

विश्वविद्यालय के अभिलेख को सिद्ध करने की रीति

४६. विश्वविद्यालय के कब्जे में विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या समिति की किसी रसीद, आवेदन, सूचना, आदेश, कार्यवाही, संकल्प या अन्य दस्तावेज या विश्वविद्यालय द्वारा सम्यक् रूप से अनुरक्षित किसी पंजिका की किसी प्रविष्टि की प्रति, यदि कुल-सचिव द्वारा प्रमाणित हो, तो उसे ऐसी रसीद, आवेदन, सूचना, आदेश, कार्यवाही, संकल्प या दस्तावेज के, या रजिस्टर में प्रविष्टि होने के प्रथमदृष्टया साक्ष्य के रूप में ग्रहण किया जायेगा और उसमें अभिलिखित विषय और व्यवहार के लिये साक्ष्य के रूप में उसी प्रकार ग्रहण किया जायेगा जैसा कि यदि मूल प्रति प्रस्तुत की गयी होती हो, तो वह साक्ष्य में ग्राह्य होती।

श्री वेदमाता गायत्री ट्रस्ट का विघटन

४७. (१) यदि श्री वेदमाता गायत्री ट्रस्ट, शान्तिकुञ्ज, हरिद्वार, अपने संगठन या निगमन को नियंत्रित करने वाली विधि के अनुसार अपने विघटन का प्रस्ताव करता है, तो वह राज्य सरकार को कम से कम तीन माह का लिखित नोटिस देगा।

(२) विश्वविद्यालय के प्रबन्धन तंत्र में कुप्रबन्धन, कुप्रशासन, अनुशासनहीनता, विश्वविद्यालय के उद्देश्यों की पूर्ति में विफल होने एवं आर्थिक कठिनाईयाँ के परिलक्षित होने पर राज्य सरकार विश्वविद्यालय के प्रबन्ध तंत्र को दिशा-निर्देश जारी करेगी। जिनका अनुपालन न होने पर विश्वविद्यालय के परिसमापन पर निर्णय लेने का अधिकार राज्य सरकार में निहित होगा।

(३) उपधारा (१) में निर्दिष्ट नोटिस के प्राप्त होने पर राज्य सरकार तकनीकी शिक्षा परिषद् एवं यू.जी.सी. से परामर्श करके, श्री वेदमाता गायत्री ट्रस्ट, शान्तिकुञ्ज, हरिद्वार के विघटन के दिनांक से, और जब तक विश्वविद्यालय के नियमित शिक्षण पाठ्यक्रमों में छात्रों का अन्तिम बैच अपने शिक्षण पाठ्यक्रमों को ऐसी रीति से पूरा न कर ले, विश्वविद्यालय के प्रशासन की ऐसी व्यवस्था करेगा, जैसी नियमों द्वारा विहित की जाये।

श्री वेदमाता गायत्री ट्रस्ट के विघटन के दौरान विश्वविद्यालय का व्यय

४८. (१) धारा ४७ के अधीन उसके प्रबन्ध ग्रहण करने की अवधि के दौरान विश्वविद्यालय के प्रशासन में होने वाले व्यय का वहन स्थायी विन्यास निधि, सामान्य निधि या विकास निधि से किया जायेगा।

(२) यदि उपधारा (१) में निर्दिष्ट निधि, विश्वविद्यालय के प्रशासन के लिये उसके प्रबन्ध ग्रहण करने की अवधि के दौरान पर्याप्त नहीं है, तो राज्य सरकार द्वारा ऐसा व्यय विश्वविद्यालय की सम्पत्तियों या अस्तियों का निस्तारण करके किया जा सकेगा।

४९. (१) यदि इस अधिनियम के उपबंधों के कार्यान्वयन में कोई कठिनाई उत्पन्न हो, तो राज्य सरकार, अधिसूचित आदेश द्वारा, ऐसे उपबंध कर सकेगी, जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हों और जो कठिनाइयों को दूर करने के लिये उसे आवश्यक या समीचीन प्रतीत हों:

प्रतिबन्ध यह है कि उपधारा (१) के अधीन कोई आदेश इस अधिनियम के प्रारम्भ से तीन वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जायगा।

(२) उपधारा (१) के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, उसके किए जाने के पश्चात्, यथाशक्यशीघ्र राज्य विधान सभा के समक्ष रख जायेगा।

५०. श्री राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित अध्यादेश को इस विधेयक द्वारा निरसित समझा जायेगा।